न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– विकास मोहन भाटी, R.A.S.

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्याः–49/2022 दायर दिनाँक 25.11.2022

आवेदकगण		अनावेदकगण
1. ओमप्रकाश पुत्र लक्ष्मणराम 2. भंवरलाल पुत्र हनुमानराम समस्त जातिगण नाई निवासी खरवालिया डीडवाना जिला नागौर राज0।	बनाम्	1. ओमप्रकाश पुत्र रामदीन 2. जवरीलाल पुत्र रामदीन 3. बाबूलाल पुत्र रामदीन 4. भंवरलाल पुत्र पेमाराम समस्त जाति नाई निवासी खरवालिया तहसील डीडवाना जिला नागौर 5. तहसीलदार डीडवाना।

प्रार्थना–पत्र

अन्तर्गत धारा 251 ए(1) R.T. Act.

उपस्थितः–

1. श्री अल्ताफ हुसैन वकील प्रार्थीगण।
2. श्री हरफुल राव वकील अप्रार्थी सं0 2 ता 4।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक 28.11.2024

प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि, आवेदक उपखण्ड डीडवाना में ग्राम खरवालिया पटवार हल्का खरवालिया भू.अभि.नि. क्षैत्र तोषीणा में स्थित खेत खसरा नम्बर 230 रकबा 1.7800 हैक्टे0 के खातेदार हैं। उक्त खसरा की भूमि में पहुँचने हेतु कोई रास्ता नहीं है जिस हेतु नये रास्ते के लिए आवेदन कर रहे है। अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (ए) उप धारा (1) के अन्तर्गत रास्ते की अनुमति लेना चाहते है।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रभावित खातेदारान को वास्ते जवाबदेही हाजिर अदालत होने के लिए जरिये सम्मन तलब किया गया।

अप्रार्थी सं0 1 तामिलगी के बावजूद भी न्यायालय में अनुपस्थित है अतः इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही प्रभाव में लाई जाने का आदेश पारित किया गया।

बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस मुख्यतः उनके प्रार्थना–पत्र पर आधारित रही व उन्होने प्रार्थना–पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2025.06.04 11:43:52 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

बहस पर मनन किया व रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया।

प्रकरण में तहसीलदार छोटी खाटू से जाँच व तथ्यात्मक रिपॉर्ट तलब की गयी। तहसीलदार छोटी खाटू द्वारा पत्रांक 1074 दिनाँक 04.10.2023 के द्वारा रिपॉर्ट अदालत में पेश की गयी। तहसीलदार छोटी खाटू की उक्त रिपोर्ट के अनुसार खसरा सं0 231 में से नजरी नक्शा मार्क A to B पर प्रस्तावित रास्ते का कुल क्षैत्रफल 208 वर्ग मीटर है। वर्तमान DLC दर से दुगुनी राशि = 7058 रूपये देय राशि बनती है।

तहसीलदार छोटी खाटू अपनी रिपोर्ट में खसरा नम्बर 231 में से होकर दर्शित मार्क ए से बी की भूमि को रास्ता की भूमि प्रस्तावित किया जो कि खसरा नम्बर 230 तक जाता है।

ग्राम खरवालिया पटवार हल्का खरवालिया भू.अभि.नि. क्षेत्र तोषीणा में स्थित खेत खसरा नम्बर 230 रकबा 1.7800 हैक्टे0 में आवागमन हेतु नया रास्ता उपलब्ध कराए जाने की प्रार्थीगण मांग कर रहे हैं। काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (ए) उपधारा (1) में संशोधन होने के बाद एक काश्तकार को उसकी भूमियों में आने–जाने के लिए **निकटतम** रास्ता उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है। तहसीलदार छोटी खाटू की रिपॉर्ट व उपलब्ध अभिलेख के अनुसार आवेदकगण की भूमि में आने–जाने का रास्ता उपलब्ध नहीं है। कृषि भूमि में आवागमन के लिए प्रार्थी को रास्ता की नितान्त आवश्यकता है। तहसीलदार छोटी खाटू की मौका रिपोर्ट के साथ पेश हुई नजरी नक्शा रिपोर्ट मुताबिक मार्क ए से बी भूमि को रास्ते के लिए प्रस्तावित किया है जो कि खसरा सं0 230 के नजदीकी रास्ता लगता है। अप्रार्थीगण की आपत्ति पेश हुई। जिस पर प्रार्थीगण का जवाब पेश हुआ। उपरोक्तानुसार प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा सं0 230 रकबा 1.7800 हैक्टे0 में आवागमन का रास्ता नही है तथा उसे अपनी जोत में आने–जाने के लिए रास्ता की नितान्त आवश्यकता है। तहसीलदार छोटी खाटू की रिपॉर्ट पर न्यायालय सहमत है तथा रिपॉर्ट मुताबिक व प्रस्तावित रास्ता को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाना न्यायोचित है। अतः उपलब्ध साक्ष्यों, तहसीलदार छोटी खाटू की रिपॉर्ट के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाता है।

–:: आदेश ::–

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर इनकी खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 230 ग्राम खरवालिया पटवार हल्का खरवालिया भू.अभि.नि. क्षैत्र तोषीणा में आवागमन हेतु तहसीलदार छोटी खाटू पत्र क्रमांक 1074 दिनाँक 04.10.2023 के द्वारा प्रस्तुत, मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा में दर्शित मार्क ए से बी से दर्शित 208 वर्ग मीटर भूमि को रास्ता की भूमि घोषित की जाती है। तहसीलदार छोटी खाटू राजस्व रेकर्ड में 208 वर्ग मीटर उक्तानुसार अमल दरामद करें। तहसीलदार छोटी खाटू की मौका रिपोर्ट निर्णय का अभिन्न भाग रहेगा। रास्ता में गयी भूमि की कीमत का आंकलन नियमानुसार वर्तमान डी0एल0सी0 दर से आंकलन कर प्रभावित खातेदारान् को भुगतान की कार्यवाही तहसीलदार छोटी खाटू सम्पादित करावें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2025.06.04 11:43:52 IST
Reason: SelfAttested

(... भाटी)
उपखण्ड अधिकारी

Scanned with OKEN Scanner